



# कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी

## प्रेस नोट

दिनांक- 14.08.2024

विषय:- आपरेशन कन्विकशन” के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना चौबेपुर में अपहरण/दुष्कर्म के मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त को 07 वर्ष सश्रम कारावास व 18000/- रु. अर्थदण्ड।

थाना चौबेपुर, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0- 493/2016 धारा 363/366/376 भा0द0वि0 व 3/4 पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त विजय यादव पुत्र मुरारी यादव निवासी पचराँव थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक चौबेपुर व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक 14.08.2024 को माननीय विशेष न्यायालय पॉक्सो-II वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त विजय यादव उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 363 भा0द0वि0 में 03 वर्ष सश्रम कारावास व 3000/- रू0 अर्थदण्ड, धारा 366 भा0द0वि0 में 05 वर्ष सश्रम कारावास व 5000/- रू0 अर्थदण्ड तथा धारा 4 पॉक्सो एक्ट में 07 वर्ष सश्रम कारावास व 10000/- रू0 अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

सोशल मीडिया सेल  
पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन  
कमिश्नरेट वाराणसी।